भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम)

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

कॉनकोर निम्नलिखित कार्य के लिए दो पैकेट प्रणाली के माध्यम से ई–टेंडर आमंत्रित करता है।

निविदा संख्या	CON/AREA-III/ENGG/WFD/E-95108/2025-26
कार्य का नाम	ICD/WFD बेंगलुरु में रेलवे लाइन संख्या 5 और 6 का निर्माण तथा अतिरिक्त खाली कंटेनर हैंडलिंग क्षेत्र का विकास
अनुमानित लागत	रु. 2557.47 लाख (जीएसटी सहित)
पूर्णता अवधि	15 (पंद्रह) महीने
बयाना राशि जमा	रु. 14,28,800.00 (चौदह लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ रुपये मात्र)
निविदा दस्तावेज की लागत (अप्रतिदेय)	शून्य
निविदा प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिदेय)	रु. 3540/– (ई–पेमेंट के माध्यम से सभी कर और शुल्क सहित)
निविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	25.03.2026 (दोपहर 15:00 बजे) से 16.04.2026 (शाम 17:00 बजे तक)
निविदा जमा करने की तिथि और समय	17.04.2026 शाम 17:00 बजे तक।
निविदा खुलने की तिथि और समय	20.04.2026 को 15:00 बजे।

वित्तीय पात्रता मानदंड, समान प्रकार के कार्य से संबंधित अनुभव आदि के लिए, कृपया वेबसाइट www.concorindia.co.in पर उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना देखें। लेकिन संपूर्ण निविदा दस्तावेज केवल वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL से ही डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा, इस निविदा में यदि कोई संशोधन/परिशिष्ट हो, तो उसे केवल वेबसाइट www.concorindia.co.in, www.tenderwizard.com/CCIL और केंद्रीय खरीद पोर्टल (सीपीपी) पर ही प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं दिया जाएगा।

कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएं), फोन नं.: 011–41222500

फॉर्म नं. [विनियम-33(2) देखें]

रजि. ए/डी. दस्ती ऐसा न करने पर प्रकाशन द्वारा।

कार्यालय :वसूली अधिकारी–I/II, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली (डीआरटी I)

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची के प्रावधानों के तहत

अचल संपत्ति की कुर्की के लिए कारण बताओ नोटिस।

27–01–2026

टीआरसी /1537/2022

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कॉर्पोरेशन बैंक)

बनाम

सेजवाल सोलर पावर एनर्जी और अन्य

सेवा में,

(सीडी 1) मेसर्स सेजवाल सोलर पावर एनर्जी, अपने साझेदार के माध्यम से, प्लॉट नंबर 08, आनंद औद्योगिक एस्टेट, मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

(सीडी 2) आलोक कुमार पुत्र नरेंद्र कुमार

(सीडी 3) सीमा पत्नी आलोक कुमार

दोनों (सीडी 2) और (सीडी 3) का पता: 901, सेक्टर–2बी, वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

जबकि पीठासीन अधिकारी,ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र में रु. 11,39,077.00 की राशि, सहित मुकदमे के लंबित रहने के दौरान और वसूली तक 11.40: की दर से भविष्य के ब्याज, तथा रु. 14,000.00 का खर्च आप पर (संयुक्त रूप से और अलग–अलग/पूर्ण रूप से/सीमित रूप से), देय हो गए हैं, और उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

2. आपको 25.03.2026 को सुबह 10.30 बजे ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) के वसूली अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और यह कारण बताने का निर्देश दिया जाता है कि उक्त संपत्ति को कुर्क क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आपको अगले आदेश तक इस संपत्ति में किसी भी तीसरे पक्ष का हित उत्पन्न करने से भी रोका जाता है।

संपत्ति का विवरण:

संपत्ति का प्रकार: अचल संपत्ति

संपत्ति का विवरण: प्लॉट संख्या 8, आनंद औद्योगिक एस्टेट, मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश वाली सम्पत्ति ।

3. ध्यान दें कि भुगतान न करने की स्थिति में, कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत, दिनांक 17.01.2026 को दिया गया।

निरंजन शर्मा

वसूली अधिकारी– II

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली (डीआरटी 1)

सार्वजनिक सूचना

फॉर्म सी

[दिवालियापन और दिवालियापन के नियम 9(1) के तहत (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवालियापन प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019]

श्री राजीव जैन के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ

(सूर्या विनायक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निजी गारंटर)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, दिल्ली पीठ, कोर्ट–II ने 13.03.2026 को आई–42, फेस 1, अशोक विहार, दिल्ली 110052 भारत में रहने वाले श्री राजीव जैन के खिलाफ दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है (आदेश 19.03.2026 को अपलोड किया गया)।

श्री राजीव जैन के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावों को प्रमाण के साथ 02.04.2026 तक या उससे पहले दिवालियापन ट्रस्टी श्री अमित जैन के समक्ष प्रस्तुत करें, जिनका कार्यालय डी–32 ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली 110065, भारत में है।

लेनदारों के दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 02.04.2026 होगी। लेनदार अपने दावे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या हाथ से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दिवालियापन ट्रस्टी का विवरण

दिवालियापन ट्रस्टी का नाम और आईबीबीआई पंजीकरण संख्या	**श्री अमित जैन** **पंजीकृत सं:** IBBI/IPA-001/IP-P02836/2023-2024/14369
दिवालियापन ट्रस्टी का पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर जिसका उपयोग दिवालियापन ट्रस्टी के साथ दावे/पत्राचार के लिए किया जा सकता है	**पता:** डी–32 ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 **ईमेल:** rajiv.bt2026@gmail.com **फोन नंबर:** 9818582552 **आईबीबीआई पंजीकृत ईमेल:** amitjain32@gmail.com

नोट: सबूत के साथ झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 और किसी भी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावास का प्रावधान होगा।

हस्ता/–

श्री अमित जैन

दिनांक : 24.03.2026

स्थान : नई दिल्ली

दिवालियापन ट्रस्टी श्री राजीव जैन के दिवालियापन ट्रस्टी

फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1983PLC016586

पंजीकृत कार्यालय : एम–50, द्वितीय तल, एम–ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110048

वेबसाइट : www.fsl.co.in फैक्स: 011–2925860, फोन: 011–41630436, 41634701

शेयरधारकों के लिए सूचना

विषय : कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में अंतरण

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण एवं वापसी नियम), 2016 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016–17 के उस लाभांश को आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित करना अनिवार्य है, जिस पर सात वर्षों से दावा नहीं किया गया है। जिन शेयरों पर लगातार सात वर्षों तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा।

नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान जिन शेयरधारकों के शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किए जाने हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उचित कार्रवाई की है।

कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने वाले शेयरों का पूरा विवरण अपनी वेबसाइट www.fsl.co.in पर अपलोड कर दिया है। संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने वाले शेयरों का विवरण सत्यापित करने के लिए कंपनी की वेबसाइट देख सकते हैं।

शेयरधारकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, वे आईईपीएफ प्राधिकरण से अदावाकृत लाभांश और आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए गए शेयरों, जिनमें ऐसे शेयरों पर प्राप्त होने वाले सभी लाभ (यदि कोई हो) शामिल हैं, को वापस प्राप्त कर सकते हैं।

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी नियमों के अनुसार शेयरों के विमूर्तकरण और आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरण के उद्देश्य से उनके पास मौजूद मूल शेयर प्रमाणपत्र के स्थान पर एक नया शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। इस प्रकार जारी होने पर, उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएगा और गैर–परक्राम्य माना जाएगा। शेयरधारकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी को नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा नए प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से 23 जून, 2026 तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के उद्देश्य से, नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियत तिथि तक कॉरपोरेट कार्रवाई के माध्यम से शेयरों का विमूर्तकरण करके उन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित करेगी।

यदि शेयरधारकों के पास इस विषय और नियमों के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तृतीय तल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली – 110062 से संपर्क कर सकते हैं। फोन 011–29961281–283, 26051061, 26051064, फैक्स : 011–29961284

कृते फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस लिमिटेड

हस्ता/–

मंदीप सिंह

(प्रबंध निदेशक)

डीआईएन : 00115301

दिनांक : 24–03–2026

स्थान : नई दिल्ली

GRAMEVA LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS BANGALORE FORT FARMS LIMITED)

CIN: L51101WB1966PLC226442; **Website:** www.grameva.in; **Email:** info@grameva.in;

Registered Office: 164/1, Maniktala Main Road, Mani Square Mall, Room No. 7E, 7th Floor, Kankurgachi, Kolkata- 700054;

Tel. No.: 033 4068 1079; 033 4063 0732

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Grameva Limited (formerly known as Bangalore Fort Farms Limited) ("GL" or the